रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 14, 2008/आश्विन 22, 1930
No. 160] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 14, 2008/ASVINA 22, 1930

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2008

सं. एल-7/1/0844(159)-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 76 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "परामर्शी" से कोई व्यष्टिक, फर्म, निकाय या ऐसे व्यक्तियों का संगम सम्मिलित है जो आयोग के नियोजन में नहीं हैं, जिनके पास कोई विशिष्ट ज्ञान, अनुभव या कुशलता है;

(घ) "परामर्श मूल्यांकन समिति" जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् "सीईसी" कहा गया है, से, यथास्थिति, विनियम 6 या विनियम 7 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ङ) "सचिवालय" से आयोग का सचिवालय अभिप्रेत है; और

(च) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है ।

3. **कार्यक्षेत्र**

(1) परामर्शियों की नियुक्ति सामान्यतः उन दिन प्रतिदिन के नेमी कार्य के लिए नहीं की जाएगी जिसके लिए इन-हाउस सुविधा उपलब्ध है ।

(2) परामर्शियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए की जाएगी, अर्थात्: --

(क) सुसंगत तथा आयोग के हित में विनिर्दिष्ट मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देने;

(ख) बेहत्तर पद्धतियों का अध्ययन करने, आंकड़े का विश्लेषण करने, बैंचमार्क विकसित करने तथा उसी प्रकार के किसी अन्य प्रयोजन के लिए; और

(ग) ऐसे अनुभव तथा अर्हताओं वाले कार्यों को करने, जो आयोग के पास उपलब्ध नहीं हैं या आयोग की राय में परामर्शी की नियुक्ति से क्वालिटी, लागत, समय या किसी अन्य विचार से कार्य को पूरा करने में अधिक प्रभावकारी और दक्षता आएगी ।

4. **नियुक्ति की अवधि**

परामर्शियों की नियुक्ति न्यूनतम अवधि के लिए की जाएगी तथा किसी भी दशा में, परामर्शी की नियुक्ति लगातार तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

5. **परामर्शियों का प्रवर्गीकरण**

परामर्शियों को निम्नलिखित रूप में प्रवर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्: --

(क) कारपोरेट परामर्शी;

(ख) व्यष्टिक परामर्शी; और

(ग) वृत्तिक विशेषज्ञ ।

6. **कारपोरेट परामर्शी**

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि उन परामर्शी सेवाओं को लेने की आवश्यकता है, जो उसकी राय में, फर्म, या किसी कंपनी या व्यक्ति संगम या निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवा से अधिक समुचित हो सकेगी, सचिवालय को कार्य के क्षेत्र, विभिन्न परिदेयों, मील के पत्थर तथा प्रत्येक उपलब्धि से संबंधित संदाय अनुसूचियों को उपदर्शित करते हुए निर्देश-निबंधन तैयार करने का निदेश देगा ।

(2) अध्यक्ष सीईसी का गठन करेगा जिसमें सचिव, आंतरिक वित्त सलाहकार, ऐसा अधिकारी जिसे उस कार्यक्षेत्र का ज्ञान होगा जिसके लिए परामर्शी सेवाएं अभिप्राप्त की जानी हैं तथा यदि आवश्यक समझा जाए, एक बाहरी विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, सम्मिलित होगा ।

(3) सीईसी आवश्यक उपांतरण, यदि कोई हों, करने के पश्चात् कारपोरेट परामर्शी की नियुक्ति के निर्देश-निबंधन के लिए अध्यक्ष की अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी ।

(4) सीईसी बोली के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पैरामीटरों के लिए तकनीकी प्रस्ताव के कम से कम 70% वरीयता का आबंटन करने हेतु आबंटित की जाने वाली वरीयता का विनिश्चय करेगा तथा प्रस्तावित वरीयता के लिए अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

(5) खंड (4) के अधीन वरीयता को अंतिम रूप देने के पश्चात्, सीईसी एक पृथक् सीलबन्द लिफाफे में, कम से कम एक समाचार पत्र में सूचना के प्रकाशन के माध्यम से तथा यथासंभव कम से कम तीन सप्ताह की सूचना देते हुए आयोग की वेबसाइट पर भी एकल प्रक्रम बोली, जिसमें तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव सम्मिलित होंगे, आमंत्रित करेगी :

परन्तु यह और कि मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए, सूचना की अवधि तीन सप्ताह से कम की जा सकेगी किन्तु जो दो सप्ताह, जैसा अध्यक्ष के अनुमोदन से विनिश्चय किया जाए, से कम नहीं होगी ।

(6) सीईसी प्रत्येक पैरामीटरों को आबंटित पूर्व अवधारित वरीयताओं के आधार पर "संयुक्त-क्वालिटी-सह-लागत-आधारित-प्रणाली" के माध्यम से बोलियों का मूल्यांकन करेगी:

परन्तु यह कि सीईसी जब तक कम से कम तीन विधिमान्य बोलियां प्राप्त नहीं हो जाती हैं तब तक बोलियों का मूल्यांकन नहीं करेगी:

परन्तु यह और कि यदि पर्याप्त संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं होती हैं तो अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से तीन विधिमान्य बोलियों की शर्त को शिथिल किया जा सकेगा ।

(7) कारपोरेट परामर्शी अध्यक्ष का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा ।

(8) इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महत्वपूर्ण प्रकृति के मामले में तथा दस लाख से अनधिक वाले वित्तीय प्रतिबद्धता वाले मामलों में, आयोग एकल स्रोत के आधार पर कारपोरेट परामर्शी की परामर्शी सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।

7. **व्यष्टिक परामर्शी**

(1) आयोग, यह समाधान हो जाने पर कि उन परामर्शी सेवाओं को लेने की आवश्यकता है, जो उसकी राय में, किसी ऐसे व्यष्टिक द्वारा अधिक दक्षता से की जा सकती हैं, जिसके पास नियत कार्य के लिए पर्याप्त अर्हता तथा अनुभव है, व्यष्टिक परामर्शी नियुक्त करने का विनिश्चय कर सकेगा तथा कार्यक्षेत्र, अभिप्राप्त किए जाने वाले मीलपत्थर, प्रत्येक मील-पत्थर की उपलब्धि से संबंधित संदाय अनुसूचियों तथा परामर्शी सेवाएं अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुभव तथा अर्हता को उपदर्शित करते हुए निर्देश-निबंधन तैयार करने के लिए सचिवालय को निदेश देगा ।

(2) सीईसी अध्यक्ष के अनुमोदन से गठित की जाएगी तथा जिसका प्रमुख अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला आयोग का सदस्य होगा तथा जिसमें सचिव, आंतरिक वित्त सलाहकार तथा आयोग का ऐसा अधिकारी सम्मिलित होगा जिसे उस कार्यक्षेत्र का ज्ञान हो जिसके लिए परामर्शी सेवाएं प्राप्त की जानी हैं ।

(3) सीईसी आवश्यक उपांतरण, यदि कोई हों, के पश्चात् व्यष्टिक परामर्शी की नियुक्ति के लिए निर्देश-निबंधन हेतु अनुमोदन अभिप्राप्त करेगी ।

(4) सीईसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कम से कम एक समाचार पत्र में और यथासंभव कम से कम तीन सप्ताह की अवधि के लिए आयोग की वेबसाइट पर सूचना के प्रकाशन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(5) प्राप्त आवेदनों के आधार पर, सीईसी परामर्शी की नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताओं तथा अनुभव और लिए गए साक्षात्कार, यदि कोई हों, के लिए दिए गए अंकों से योग्यता क्रम उपदर्शित करते हुए निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किन्तु उस तक सीमित न रहते हुए, व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी, अर्थात्: --

(6) अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी (सीईसी द्वारा तैयार किए गए पैनल से) को व्यष्टिक परामर्शी के रूप में नियुक्त किया जाएगा । नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की लगातार अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(7) व्यष्टिक परामर्शी को उन दरों पर, जो नियुक्ति के समय विनिश्चित की जाएं, निम्नलिखित फीस संदत्त की जाएगी, अर्थात् : --

(क) नियुक्ति की अवधि के लिए प्रतिधारण फीस;

(ख) विनिर्दिष्ट कार्य के पूरा होने पर परामर्शी फीस; और

(ग) वास्तविक खर्चों के लिए प्रभार ।

8. वृत्तिक विशेषज्ञ

(1) अध्यक्ष, आवश्यकता का समाधान होने पर, आवश्यक प्रकृति के किसी भी विषय पर सलाह के लिए वृत्तिक विशेषज्ञ की नियुक्ति का विनिश्चय कर सकेगा ।

(2) अध्यक्ष के ऐसा विनिश्चय करने पर, सचिवालय प्रस्ताव तैयार करेगा तथा कम से कम दो ऐसे वृत्तिकों, जिनके पास क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता हो, परामर्शी कार्य को स्वीकार करने की उनकी स्वीकृति तथा उनके द्वारा मांग की गई फीस को ध्यान में रखकर एक सूची तैयार करेगा ।

(3) अध्यक्ष ऐसी फीस के संदाय पर तथा ऐसी अन्य शर्तों, जो समुचित समझी जाएं, पर परामर्शी के रूप में नियुक्ति के लिए विशेषज्ञ का नाम अनुमोदित कर सकेगा:

परन्तु इस प्रकार विनिश्चित फीस कार्य की व्यष्टिक मद के लिए दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।

9. अध्यक्ष का पद खाली होने पर

अध्यक्ष का पद खाली होने की दशा में, इन विनियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य कर सकेगा ।

10. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 1999 इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से निरसित समझा जाएगा ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए, निरसित विनियमों के अधीन की गई या आशयित कोई बात इन विनियमों के अधीन की गई या आशयित बात समझी जाएगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/150/08]

3958 GI/08-2

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2008

No. L-7/1/0844(159)-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulation, namely :—

1. **Short title and commencement**

(i) These Regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008.
(ii) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**

(1) In these regulations unless the context otherwise requires –

(a) "Chairperson" means, the Chairperson of the Commission;

(b) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in Section 76 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(c) "Consultant" includes any individual, firm, body or association of persons, not in the employment of the Commission, who or which possesses or has access to any specialized knowledge, experience or skill;

(d) "Consultancy Evaluation Committee" hereinafter referred to as "CEC" means the committee constituted under Regulation 6 or, as the case may be under Regulation 7;

(e) "Secretariat" means secretariat of the Commission;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Commission;

3. **Scope of Work**

(1) Consultants shall not normally be appointed for routine day-to-day work for which in-house facility is available.

(2) Consultants may be engaged for the following purposes, namely-

(a) providing expert advice on specific issues of relevance and interest to the Commission,

(b) conducting study of best practices, analyzing data, developing bench marks, or for any other similar purpose, and

(c) performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, cost, time or for any other consideration.

4. Period of engagement

Consultants shall be engaged for the minimum period and in no case engagement of consultant shall exceed a continuous period of three years.

5. Categorisation of Consultants

Consultants shall be categorized as:

(a) Corporate consultants,
(b) Individual consultants, and
(c) Professional experts.

6. Corporate Consultants

(1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which, in its opinion, may be more appropriately provided by a firm, or a company or an association or body of persons, shall direct the Secretariat to prepare the terms of reference indicating the scope of the work, various deliverables, milestones and the schedule of payments linked to achievement of each milestone.

(2) The Chairperson shall constitute the CEC comprising the Secretary, Internal Financial Advisor, an officer having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained and, if considered necessary, an external expert, as may be nominated by the Chairperson.

(3) The CEC shall, after necessary modification, if any, obtain approval of the Chairperson for the terms of reference for engagement of a corporate consultant.

(4) The CEC, shall decide the weightage to be allocated to each of the parameters for the purpose of evaluation of bids, allocating at least 70% weightage to technical proposal and obtain the approval of the Chairperson for the weightage proposed.

(5) After finalizing the weightages under clause (4), the CEC shall invite single stage bids, containing technical and financial proposals in separate sealed envelopes, through publication of notice in at least one newspaper and also on the Commission's website giving, as far as possible, a notice of not less than three weeks:

Provided that in matters of urgency, the period of notice may be reduced to less than three weeks but shall not be less than two weeks, as may be decided with the approval of the Chairperson.

(6) The CEC shall evaluate the bids through 'Combined-Quality-Cum-Cost-Based System' based on the pre-determined weightages allocated to each of the parameters:

Provided that the CEC shall not *proceed* with evaluation of bids, unless at least three valid bids have been received:

Provided further that the condition of three valid bids may be relaxed with the prior approval of the Chairperson in case the adequate number of bids are not received.

(7) The corporate consultant shall be engaged after obtaining approval of the Chairperson.

(8) Notwithstanding anything contained in this regulation, in matters of urgent nature and involving financial commitment not likely to exceed Rs. ten lakh, the Commission may avail consultancy services of a corporate consultant on the basis of single sourcing.

7. **Individual Consultants**

(1) The Commission, on being satisfied that there is a need for availing consultancy services which in its opinion can be more efficiently performed by an individual, having qualification and experience considered essential for an assignment may decide to engage an individual consultant and direct the Secretariat to prepare the terms of reference indicating the scope of the work, milestones to be achieved, the schedule of payments linked to achievement of each milestone and the experience and qualification required for obtaining consultancy services.

(2) The CEC shall be constituted with the approval of the Chairperson and shall be headed by a Member of the Commission to be nominated by the Chairperson and shall include the Secretary, Internal Financial Advisor and an officer of the Commission having knowledge in the area of work for which consultancy services are to be obtained.

(3) The CEC shall after necessary modification, if any, obtain approval of the Chairperson for the terms of reference for engagement of individual consultant,

(4) The CEC shall call for applications through publication of notice in at least one newspaper and on the Commission's website giving, as far as possible, a period of at least three weeks for submission of applications.

(5) Based on the applications received, the CEC shall, by awarding marks for the educational qualifications and experience and the performance in interview, if any, held, prepare a panel of persons, indicating the order of merit, for appointment as consultant, having regard to, but not limited to, the following, namely,-

(a) Academic background,
(b) Experience,
(c) Knowledge of the working environment such as language, culture, administrative system, and other relevant factors:

Provided that the CEC shall, while preparing the panel consider the profile of at least three candidates:

Provided further that the condition of three candidates may be relaxed with the prior approval of the Chairperson, if the responses from sufficient number of candidates are not received.

(6) The candidate (from the panel prepared by the CEC) approved by the Chairperson shall be engaged as individual consultant. The duration of engagement shall not exceed a continuous period of three years.

(7) Individual consultant shall be paid the following fees at the rates as may be decided at the time of engagement, namely, -

(a) Retainership fee for the duration of engagement,
(b) Consultancy Fee on completion of the specified milestones, and
(c) Charges for out-of-pocket expenses.

8. **Professional Experts**

(1) The Chairperson, on being satisfied for the need, may decide to engage a professional for advice on an issue of urgent nature.

(2) On the Chairperson so deciding, the Secretariat shall formalize the proposal and prepare a list of not less than two professionals having the requisite expertise in the field, his willingness to accept consultancy work and the fee demanded by each of them.

(3) The Chairperson may approve the name of the expert for engagement as consultant on payment of such fee and on such other terms as may be considered appropriate:

Provided that the fee so decided shall not exceed Rs. ten lakh for an individual item of work.

9. **Vacancy in Office of Chairperson**

In case of vacancy in the office of Chairperson, the powers exercisable by the Chairperson under these regulations, may be exercised by the senior-most Member of the Commission.

10. **Repeal and Saving**

(1) Save as otherwise provided in these regulations, the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 1999 shall stand repealed from the date of commencement of these regulations.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these regulations.

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT III/4/Exty./150/08]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.